पॉकसो (POCSO) अधिनियम 2012 की मुख्य विशेषताएं

Protsahan India Foundation

• बालिकाओं का बयान केवल महिला पुलिस अफ़सर, जो सब-इन्स्पेक्टर के पद से ऊँचे पद पर हों, द्वारा ही लिया जा सकता हैं

• किसी भी बच्चे को पुलिस थाने में, ख़ासकर रात में, नहीं रोका जा सकता

• पुलिस को सबूत इकट्ठा करना और गवाहों के बयान दर्ज करना FIR दर्ज होने के 30 दिन के अंदर करना होगा

• बच्चे द्वारा कहे गए हर शब्द को उसी रूप में बयान में दर्ज करना होगा, और बयान दर्ज करते समय एक भरोसेमंद वयस्क या अभिभावक बच्चे के साथ हमेशा रहेगा

• बच्चे की मेडिकल जाँच एक भरोसेमंद वयस्क या अभिभावक की उपस्थिति में ही की जा सकती है, और बालिकाओं की मेडिकल जाँच केवल महिला डॉक्टर ही कर सकती है

• पॉकसो के अंतर्गत चलने वाले आपराधिक मुक़दमों की सुनवाई केवल विशेष अदालत में ही होगी जहाँ अपराधी बच्चे के सीधे सम्पर्क में ना आ सके, और बच्चा CCTV कैमरे के ज़रिए न्यायाधीश के सामने अपना बयान दे सके

• मुक़दमे की सुनवाई के दौरान बच्चे को नियमित रूप से विश्राम देना चाहिए, ख़ासकर जब बच्चा सहमा हुआ हो

• बच्चे को बार बार कोर्ट में बयान देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता

• वक़ीलों द्वारा पूछे गए सवालों में किसी भी प्रकार की आक्रामक भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, और बच्चे के चरित्र पर सवाल नहीं किया जा सकता। वक़ील को सभी सवाल केवल न्यायाधीश के माध्यम से ही पूछने होंगे

• पॉकसो के अंतर्गत चलने वाले आपराधिक मुक़दमों में बच्चे का नाम मीडिया को बताना एक दंडनीय अपराध है, और अभियुक्त को एक साल की सज़ा हो सकती है

• FIR दर्ज करने के उपरांत पुलिस को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति और विशेष अदालत को सूचित करना होगा

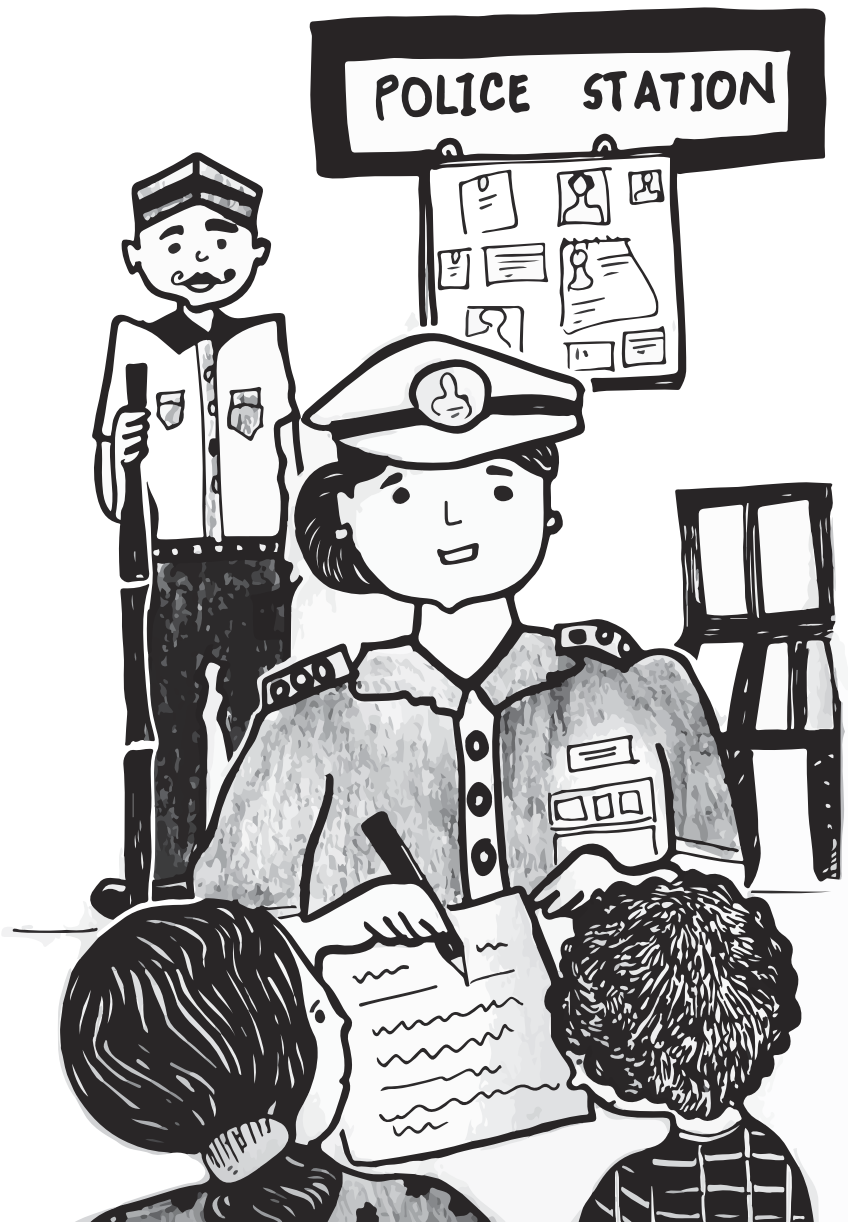

अधिक जानकारी या हमसे बात करने के लिए हमारी वेब्सायट **www.protsahan.co.in** पर जाएँ

चाइल्ड लाइन को 1098 पर मदद के लिये दिन या रात किसी भी समय कॉल करें और बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाएं